मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2008 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 14 मार्च, 2008 (फाल्गुन 24, 1929)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन एक्ट, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वेयर हाऊसिंग एण्ड लाजिस्टिक्स कारपोरेशन का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2006-2007 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री नागेन्द्र सिंह, नर्मदा घाटी विकास मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवेलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2006-2007 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री राजेश पटेल, आरिफ अकील, सदस्य, सागर जिले के बीना में निर्माणाधीन रिफाइनरी में ठेकेदारों द्वारा अवैध उत्खनन कर रायल्टी की चोरी किये जाने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री धरमू राय, हरनाम सिंह राठौर, सदस्य, सागर जिले के खुरई एवं बण्डा क्षेत्र में सोयाबीन के कुफलन से हुई क्षति का मुआवजा न दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री अर्जुन पलिया, किशोर समरीते, डॉ. सुनीलम्, सदस्य, बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र में वन ग्रामों के आदिवासियों से गांव खाली कराये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य, राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जिला स्तर पर लगाये गये पुस्तक मेले के नाम पर भ्रष्टाचार किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी, सदस्य, शिवपुरी जिले में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन जिले के खाचरौद क्षेत्र में पाला पीड़ित कृषकों की फसल के सर्वे कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री देवी सिंह पटेल, सदस्य, बड़वानी जिले में कार्यपालन यंत्री द्वारा पेयजल संकट के संबंध में लापरवाही किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री बृजमोहन दास धूत, सदस्य, देवास जिले के खातेगांव क्षेत्र में सोयाबीन नुकसानी का मुआवजा न मिलने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल के पिपलानी थानान्तर्गत एक महिला का अपहरण कर हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री शिवराज शाह, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम प्रकाश बम्हौरी में नील गायों द्वारा फसल नष्ट किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य, प्रदेश में बगैर मान्यता के एम.बी.ए. एवं बी.सी.ए. के पाठ्यक्रम संचालित होने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प निगम द्वारा प्रदेश के बाहर बना माल ऊँची दरों पर खरीदे जाने की ओर राज्यमंत्री ग्रामोद्योग का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री जयराम सिंह मार्को, सदस्य, रीवा जिले के वन परिक्षेत्र सिरमौर अंतर्गत अवैध अतिक्रमण होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले में हैण्डपंप उत्खनन में अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्रीमती संध्या सुमन राय, सदस्य, मुरैना जिले के दिमनी क्षेत्र में पेयजल संकट होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(16) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम पडरी निवासी के साथ मारपीट कर लूट-पाट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) सुश्री उषा ठाकुर, सदस्य, रीवा जिले के अंतर्गत सिरमौर तहसील के ग्राम शाहपुर में ट्रांसफार्मर बदलवाये जाने,

(2) श्री मनमोहन शाह बट्टी, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के अमरवाड़ा तहसील के ग्राम सिंगौड़ी के रीछन नाला पर पुल निर्माण कराये जाने,

(3) श्री रामदास उइके, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) मोहखेड़ को तहसील एवं सॉवरी को टप्पा तहसील बनाये जाने,

(ख) जुन्नारदेव ढ़ाकरवाड़ी एवं चिखलार में हाईस्कूल खोले जाने,

(ग) जुन्नारदेव के ग्राम हनोतिया में विद्युत सब स्टेशन खोले जाने,

(घ) जुन्नारदेव नगर में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने,

(ङ) मोहखेड़ के ग्राम सांवरी में आदिवासी कन्या छात्रावास खोले जाने,

(च) जुन्नारदेव के ग्राम कटकुही एवं जम्बा किराड़ी में हाई स्कूल भवन निर्माण कराये जाने, तथा

(छ) जुन्नारदेव के ग्राम खजरी फूलसा नदी पर स्टाप डेम के निर्माण किये जाने,

(4) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य, भोपाल जिले के विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित सी सेक्टर कालोनी शाहपुरा रहवासी मकानों की भूमि का कमर्शियल लीज रेन्ट हटाये जाने,

(5) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल जिले के -

(क) शहर के वार्ड नं.11 संजय नगर में पेयजल सप्लाई किये जाने,

(ख) शहर के वार्ड नं.9 ब्राईट कालोनी ईदगाह हिल्स की रोड को डामरीकरण किये जाने, तथा

(ग) शहर के वार्ड नं. 11 की सनराईज काम्पलेक्स-सनराईज कालोनी में पेयजल सप्लाई किये जाने,

(6) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के -

(क) सुमावली के एम.एस. रोड से प्रजापति मोहल्ला तक रोड निर्माण किये जाने, तथा

(ख) सुमावली के ग्राम जौरी की रोड का डामरीकरण कराये जाने,

(7) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम भड़कसनावदा मार्ग के नाले पर पुलिया निर्माण किये जाने,

(8) श्री जुगुल किशोर बागरी, सदस्य, सतना जिले की नागौद तहसील के ग्राम उमरहट में ट्रांसफार्मर लगाये जाने,

(9) श्री हाकम सिंह चड़ार (मेहरा), सदस्य, नरसिंहपुर जिले के -

(क) गोटेगांव तहसील के ग्राम घाट पिंड़इ एवं खमरिया कंधरापुर नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने, तथा

(ख) नगर पंचायत गोटेगांव के बाहर से नरसिंहपुर-जबलपुर व्हायपास रोड बनाये जाने,

(10) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन जिले के -

(क) ग्राम नयाखेड़ा बंजारों का डेरा में प्राथमिक स्कूल खोले जाने,

(ख) ग्राम श्रीवच्छ की माध्यमिक विद्यालय को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(ग) ग्राम मेहतवास की प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किये जाने, तथा

(घ) ग्राम उमरना से दड़िया नायन पहुंच मार्ग निर्माण कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों पर मतदान.........(क्रमशः)

निर्धारित समय			
2 घन्टे	(1)	मांग संख्या - 15	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या - 30	ग्रामीण विकास
		मांग संख्या - 52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या - 59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
		मांग संख्या - 62	पंचायत
		मांग संख्या - 80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.
30 मि.	(2)	मांग संख्या - 5	जेल
		मांग संख्या - 29	विधि और विधायी कार्य.

निर्धारित समय

निर्धारित समय			
1 घन्टा 30 मि.	(3)	मांग संख्या - 8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन
		मांग संख्या - 9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या - 35	पुनर्वास
		मांग संख्या - 51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व
		मांग संख्या - 58	प्राकृतिक आपदा एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.
1 घन्टा	(4)	मांग संख्या - 25	खनिज साधन
		मांग संख्या - 26	संस्कृति
		मांग संख्या - 32	जन सम्पर्क.
1 घन्टा	(5)	मांग संख्या - 47	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण
		मांग संख्या - 48	नर्मदा घाटी विकास
		मांग संख्या - 70	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजना.

6. अशासकीय संकल्प

(1) सर्वश्री गिरिराज मण्डलोई, उमाशंकर गुप्ता, दुर्गालाल विजय, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

1 घन्टा "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि तमिलनाडू राज्य में स्थित रामेश्वरम तथा श्रीलंका के मध्य समुद्र में त्रेता युग में भगवान राम द्वारा लंका जाने हेतु बनाये गये सेतु को केन्द्र शासन द्वारा तोड़े जाने की स्वीकृति दी गई है, इसे तत्काल रोका जावे एवं इसे ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्व के स्थल के रुप में सुरक्षित रखा जावें."

(2) श्री किशोर समरीते, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि मध्यप्रदेश में जितनी भी रेल लाईन सिंगल ट्रेक हैं उन्हें डबल ट्रेक करके सभी रेल लाईनों का विद्युतीकरण किया जाये जिनमें से सर्वप्रथम निर्माणाधीन रेल ट्रेक शीघ्र बनाये जायें."

(3) श्री अशोक सिंह सरस्वार, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में ताम्र अयस्क शोधन संयंत्र की स्थापना की जाये."

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 13 मार्च, 2008